न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–08/2016

संजूर गद्दी एवं अन्य...वादीगण

बनाम

नगीना गद्दी एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
23.11.2022	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 14.07.2022 अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 एवं दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगणों का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के वादी सं0–01 संजूर गद्दी की मृत्यु दिनांक 17.04.2022 को हो गई है तथा प्रस्तुत वाद में मृत वादी सं0–01 संजूर गद्दी के विधिक वारिसान के रूप में अपने पीछे अपनी पत्नि खैरून नेशा तथा एक लडका इबरत गद्दी एवं एक लडकी नसीमा खातुन को छोड़कर मरे है। अतः वादपत्र से मृत वादी सं0–01 संजूर गद्दी का नाम कलमजद करने तथा आवेदनानुसार मृतक के विधिक वारिसान का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा करें। जो प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादीगणों की ओर से वादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के वादी सं0–01 संजूर गद्दी की मृत्यु हो गई है। आवेदन के समर्थन में वादीगणों द्वारा मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं शपथपत्र भी दाखिल किया है। अतः न्यायहित में वादीगणों का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत वादी सं0–01 का नाम कलमजद करें तथा उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें। वाद दिनांक 23.12.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	